(101)

III/निग०/सतना/भू-रा०/2017/3688

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला - रीवा म०प्र०

संभाग रीवा म०प्र०

Rs.301-

1- गंगाधर तनय श्री प्रेमधर शर्मा आयु करीब 51 साल, पेशा नौकरी,

2- प्रेमधर शर्मा तनय स्व० चन्द्रशेखर शर्मा आयु करीब 75 वर्ष, पेशा सेवानिवृत

क्र० दोनो निवासी ग्राम माधवगढ़, तहसील रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०

—— आवेदक /निगरानीकारगण

सादे गंगाधर शर्मा द्वारा पेश 06-10-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1- साकेत बिहारी पिता स्व० लक्ष्मी प्रसाद द्वा० आयु 38 साल, निवासी माधवगढ़, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

2- श्रीमती [illegible] देवी पुत्री स्व० लक्ष्मीप्रसाद द्वा० पत्नी श्री महेन्द्र पाण्डेय आयु 60 साल, निवासी हनुमान मंदिर के पास खिरियाटोला सतना, तह० रघुराज नगर, जिलासतना म०प्र०

3- श्रीमती रेणुका त्रिपाठी पुत्री स्व० लक्ष्मी प्रसाद द्वा० पत्नी स्व० श्री पूर्णानन्द त्रिपाठी आयु 54 साल, नि० राजेन्द्र नगर सतना तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

4- श्रीमती किरण देवी पुत्री स्व० लक्ष्मी प्रसाद द्वा० पत्नी श्री विनयकुमार त्रिपाठी आयु 50 साल, नि० ग्राम परसिया गोविन्दगढ़, जिला रीवा म०प्र०

5- वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री उपेन्द्र दत्त शर्मा आयु 60 साल,

6- शशिधर शर्मा तनय स्व० उपेन्द्र दत्त शर्मा आयु 52 साल,

7- रामधर शर्मा तनय स्व० उपेन्द्रदत्त शर्मा आयु 52 साल,

नि० तीनो ग्राम माधवगढ़, तह० रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० ——अनावेदकगण/

—— गैर निगरानीकार गण

निगरानी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के राजस्व अपील प्र०क्र०

गंगाधर शर्मा

2-

183 अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनाक 31-8-2017,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराज नगर सतना एव ग्राम पचायत के प्रस्ताव क्रमाक 2/17 दिनाक 14-4-12 विधि एव प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी के है।

2- यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगणो का आवेदन अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का जो अपील के साथ प्रस्तुत कियागया था उस पर विचार न कर उसका निष्कर्ष निकाल कर आवेदक की अपील म्याद के अन्तर्गत न मानते हुये निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि की है।

3- यहकि आवेदक गणो ने अपने अपील मेमो मे माननीय अधी0 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट उल्लेख किया था कि आवेदक गणो को ग्राम पचायत के प्रस्ताव क्र0 2/17 दिनाक 14-4-12 की कोई सूचना किसी तरह से नही दीगई और न कोई इश्तहार का प्रकाशन कराया गया और न उन्हे कोई सममन ही दियागया जिससे आवेदक गणो को कोई जानकारी ग्राम पचायत के प्रस्ताव क्र0 2/17 दिनाक 14-4-12 की किसी तरह से नही हुई और रेस्पा0क्र0 1 अवैधानिक तरीके से ग्राम पचायत से प्रस्ताव बिना आवेदक गणो को सूचना दिये हुये चोरी छिपे करा लियाक्योकि रेस्पा0 / अना0क्र0 1 ग्राम पंचायत का वार्ड क्र0 10 का पार्षद है किन्तु इस पर भी कोई विचार माननीय अनु0 अधिकारी द्वारा न करके आवेदक गणो की अपील अवधि वाधित मानकर प्रथम दृष्टया निरस्त करने मे वैधानिक त्रुटि किये है।

गंगाधर शर्मा

गंगाधर शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

101

[redacted]मांक [redacted]/निग0/2017/3688 जिला–सतना

गंगाधर शर्मा/ साकेत [redacted]

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विद्याधर शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 183/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	